



The Government Grants Act, 1895 (Uttarakhand Amendment) Act, 2023

Act No. 12 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या-51

पंजीकरण संख्या-UA/DO/DDN/30/2021-2023



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 25 अप्रैल, 2023 ई0
बैशाख 05, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 157/XXXVI(3)/2023/15(1)/2023

देहरादून, 25 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023' पर दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 12, वर्ष- 2023 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2023
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2023)

सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष, 1895) में
उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर
संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

- | | | | | |
|----------------------------------|------------|----|-----|---|
| संक्षिप्त
विस्तार
प्रारम्भ | नाम,
और | 1. | (1) | इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2023 है। |
| | | | (2) | इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। |
| | | | (3) | यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |

धारा 3 का 2.
संशोधन

सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (उ०प्र० संशोधन) अधिनियम, 1960 (जिसे इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 3 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण (क) एवं (ख) अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण (क) "ऐसे पट्टेदारों को विधिमाम्य पट्टेदार समझा जायेगा अर्थात् ऐसे पट्टेदारों के पट्टे विधिक रूप से मान्य होंगे जिन्हें मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन जनपद उधमसिंहनगर के सीमान्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से वर्ष 1971 से पूर्व भारत आये शरणार्थी और जिन्हें वर्ष 1980 से पूर्व भारत सरकार की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत तत्कालीन जिला नैनीताल (वर्तमान में जिला उधमसिंहनगर) की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत कृषि हेतु जिला पुनर्वास कार्यालय, बरेली और जिला पुनर्वास कार्यालय, रुद्रपुर (पूर्ववर्ती जिला नैनीताल) वर्तमान जिला उधमसिंहनगर द्वारा भूमि पट्टे पर आवंटित की गयी एवं राज्य सरकार द्वारा विहित अन्य शर्तों का अनुपालन करने वाले व्यक्ति।"

स्पष्टीकरण (ख) "ऐसे पट्टेदारों को विधिमाम्य पट्टेदार समझा जायेगा अर्थात् ऐसे पट्टेदारों के पट्टे विधिक रूप से मान्य होंगे जिन्हें मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन जनपद उधमसिंहनगर के सीमान्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से वर्ष 1971 से पूर्व भारत आये शरणार्थी और जिन्हें वर्ष 1980 से पूर्व भारत सरकार के पुनर्वास योजना के अन्तर्गत तत्कालीन जिला

प्रमाणित पति


लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

नैनीताल (वर्तमान में जिला ऊधमसिंहनगर) की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत कृषि हेतु जिला पुनर्वास कार्यालय, बरेली और जिला पुनर्वास कार्यालय, रुद्रपुर (पूर्ववर्ती जिला नैनीताल) वर्तमान जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा भूमि पट्टे पर आवंटित की गयी तथा मूल पट्टेदार की सहमति से अन्य व्यक्ति जो दिनांक 09.01.2000 से पूर्व कब्जा प्राप्त कर इस भूमि पर काबिज हों तथा जिन्होंने वर्ष 2013 को प्रवृत्त सर्किल रेट के आधार पर आंकलित कब्जे की भूमि का मूल्य राजकोष में जमा कर दिया गया हो एवं राज्य सरकार द्वारा विहित अन्य शर्तों का अनुपालन करने वाले व्यक्ति का ऐसी भूमि का पट्टा अपने तात्पर्य के अनुसार प्रभावी होगा।

विधिमान्यकरण

3.

इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन दिनांक 27.01.2014 से किये गये समझे जाएंगे और तदनुसार उक्त तारीख को या उसके पश्चात् और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित. कार्रवाई या किसी बात के होते हुए भी सभी प्रयोजनों के लिए उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी रूप से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा की प्रकृत
विधिमान्य

प्रमाणित प्रति

(Handwritten Signature)

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

कारण और उद्देश्य

जनपद उधमसिंहनगर के सीमान्तर्गत वह भूमि जो वर्ष 1971 अथवा उससे पूर्व बांग्लादेश (पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान) से भारत आये शरणार्थियों को जिन्हें भारत सरकार की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अन्तर्गत जिला पुनर्वास कार्यालय, बरेली और जिला पुनर्वास कार्यालय, रुद्रपुर (पूर्ववर्ती जिला नैनीताल) वर्तमान जिला उधमसिंहनगर द्वारा पट्टे पर भूमि आवंटित की गयी थी तथा मूल पट्टेदारों की सहमति से अन्य व्यक्ति जो दिनांक 09.01.2000 से पूर्व कब्जा प्राप्त कर इस भूमि पर काबिज हों, ऐसे पट्टेदारों को विधिमान्य किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में (सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895) की धारा 3 में संशोधन अपरिहार्य है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

प्रमाणित पति



लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

No. 157/XXXVI(3)/2023/15(1)/2023

Dated Dehradun, April 25, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Government Grants Act, 1895 (Uttarakhand Amendment) Act, 2023' (Act No. 12 of 2023).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 20th April, 2023.

**THE GOVERNMENT GRANTS ACT, 1895
(UTTARAKHAND AMENDMENT) ACT, 2023
(Uttarakhand Act No. 12 Of 2023)**

AN

ACT

Further to amend The Government Grants Act, 1895 (Act No. 15 of 1895) in the context of the State of Uttarakhand,

Be it enacted by Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy fourth year of the Republic of India as follows-


Short title, extent and commencement 1. (1) This Act may be called The Government Grants Act, 1895 (Uttarakhand Amendment) Act, 2023.

(2) It shall extends to the whole of State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of section 3 2. The Government Grants Act, 1895 (U.P. Amendment) Act, 1960 (Act No. 15 of 1895) (hereinafter referred to as principal Act), after section 3 of the Act, the following explanation (a) and (b) shall be inserted, namely:-


प्रमाणित पति


लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

“Explanation (a) Such lessees shall be deemed to be valid lessees, means that, the leases of such lessees shall be legally valid, who came to India before the year 1971 from eastern Pakistan (present Bangladesh), within the limits of District Udham Singh Nagar and whose the land allotted under the Rehabilitation Scheme of Government of India prior form 1980 on lease by District Rehabilitation office Bareilly and District Rehabilitation office, Rudrapur (formerly District Nainital) present District Udham Singh Nagar under section 3 of the principal Act, shall be valid for agriculture within the territorial jurisdiction of, for the time being, District Nainital (present District Udham Singh Nagar) within the Rehabilitation Scheme of the Government of India and and such person who have complied other conditions prescribed by the State Government.”

“Explanation (b) Such lessees shall be deemed to be valid lessees, means that, the leases of such lessees, who came to India before the year 1971 from eastern Pakistan (present Bangladesh), within the limits of District Udham Singh Nagar and whose the land allotted under the Rehabilitation Scheme of Government of India prior form 1980 on lease by District Rehabilitation office Bareilly and District Rehabilitation office, Rudrapur (formerly District Nainital) present District Udham Singh Nagar under section 3 of the principal Act, shall be valid for agriculture within the territorial jurisdiction of, for the time being, District Nainital (present District Udham Singh, Nagar) within the Rehabilitation Scheme of the Government of India and who is owner of this land by obtaining possession, before 09.01.2000 from other persons with the consent of original lease holders and who have deposited value of estimated possessed land on the basis of, time being circle rate of the year 2013 and such person who have complied other conditions prescribed by the State Government.”

प्रमाणित पति


लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Validation

3. The amendments made in the principal Act by Section 2 of this Act shall be deemed to have been made from 27.01.2014 and accordingly, notwithstanding anything done or purporting to have been taken under the principal Act on or after the said date and before the commencement of this Act, shall for all purposes be in force as valid and effective.

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,
Secretary.

प्रमाणित पति


लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा इकाया
उत्तराखण्ड

